घर-घर औषधि योजना

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

कमांक एफ.21(1) 2022–23 / विकास / प्रमुवसं / 879–887 दिनांक : 25/4/2022

निमित्त,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सूचना प्रोद्योगिकी
राजस्थान,जयपुर

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर / उदयपुर / जोधपुर / कोटा / बीकानेर /
भरतपुर / अजमेर / वन्यजीव, उदयपुर /

विषय :– बजट आवंटन वर्ष 2022–23 राज्य निधि (आयोजना)।

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा संख्या 205 राजस्थान औषधीय पौधो की विविधता तथा गुणवत्ता के लिए प्रसिद्व है। इसको बढावा देने के लिए **घर घर औषधि योजना** शुरू की जायेगी। जिसके अन्तर्गत औषधीय पौधो की पौधशालायें विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा व कालमेघ इत्यादि पौधे नर्सरी से उपलब्ध कराये जायेगे। योजना को सफल बनाने के लिये **पौध तैयारी एवं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु** परिशिष्ट–1 एवं परिशिष्ट–2 के अनुसार आवंटित राशि जिलेवार एवं कार्यालयवार विवरण भी संलग्न सारणी में दर्शाया गया है। आपसे अनुरोध है कि बजट प्राप्ति के 05 दिवस में आप उक्त बजट संबंधित कार्यालयो को आवंटित कर इस कार्यालय को भी सूचित करावें। कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित करावें :–

1. उक्त आवंटन में भौतिक लक्ष्यों का अंकन आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों एवं इस कार्यालय के अभिलेखों के आधार पर किया गया है। यदि इसमे किसी संशोधन को आवश्यकता हो तो शीघ्र विवरण सहित अवगत करावें।
2. कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे अथवा करा ली जावे तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशो की पूर्ण पालना की जावे।
3. प्रायः ऐसा देखने में आया है कि राशि का आवंटन होने के उपरांत भी अधिकांश राशि का उपयोग वितीय वर्ष की समाप्ति के महीनों में किया जाता है, जिसे महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा अपने ड्रॉफ्ट पैरा में लिया गया है। अतः मुख्य वन संरक्षकगण प्रतिमाह किये जाने वाले व्यय का मासिक कलेण्डर बनाकर प्रेषित करें तथा कलेण्डर के अनुसार व्यय कराना सुनिश्चित करें। बजट मैन्यूअल के नियम 139 की अक्षरशः पालना की जावे। मुख्य वन संरक्षकगण को यह भी निर्देशित किया जाता है कि तालिका में अंकित त्रैमास वार व्यय की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु वे प्रतिमाह उनके द्वारा बनाये गये व्यय –कलेन्डर की monitoring करें एवं जहां अपेक्षित व्यय नही हो रहा हो वहां सुधारात्मक कदम उठायें। राशि बचत रहने की दशा में संबंधित कार्यालय व्यक्तिशः जिम्मेदार होगें।
4. आंवटित राशि का अधीनस्थ वन मण्डलों को आवंटन कर तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।
5. बजट का उपयोग सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों,वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करें। इन नियमों / आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओ के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
6. वित्त(आय–व्ययक) विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक F.4(1)FD-I(1)BUGET/2021दिनांक 30.03.2021 में दिए गए निर्देशो के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही / स्वीकृतियां जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
7. यह विशेष रूप से ध्यान रखा जावे कि आवंटित राशि का उपयोग करते समय एक योजना के कार्यो का अन्य योजनाओं के साथ ओवरलेपिग न हो। मुख्य वन संरक्षकगण इसे व्यक्तिशः सुनिश्चित करें।
8. यह महत्वपूर्ण योजना है इसलिए अनिवार्यत शतः प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
9. प्रसार–प्रसार सामग्री पौध वितरण के समय वितरित किया जाना सुनिश्चित करें।
10. वितरण हेतु आवंटित राशि का उपयोग तहसील / ग्राम पंचायत आदि स्तरों पर वितरण केन्द्र स्थापित करने एवं इन केन्द्रो तक पौधों का परिवहन करने में भी किया जा सकता है। उक्त कार्य हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

घर-घर
औषधि योजना

राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग द्वारा प्रतिमाह की 8 तारीख को गत माह तक हुई वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की जाती है अत **आंवटित राशि के विरूद्ध प्रतिमाह की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना संबंधित** मुख्य वन संरक्षक निर्धारित प्रपत्रों में ऑन लाइन कर मुख्य वन संरक्षक, (आयोजना) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को आगामी माह को 5 तारीख तक प्रतिमाह अर्द्ध शासकीय पत्र से भेजना सुनिश्चित करें।

यह भी सुनिश्चित किया जावे कि राशि जिस मद में आंवटित की गई है, उसी मद में नियमानुसार व्यय की जावे। किसी भी परिस्थिति में किसी मद में आंवटित राशि से अधिक व्यय नही किया जावे एवं समय–समय पर इस कार्यालय द्वारा प्रसारित दिशा–निर्देशों की पालना की जावें।

कृपया आप इस प्रकार से आयोजना एवं वित्तीय प्रबधन करें जिससे निर्धारित वित्तीय एवं उसके अनुरूप भौतिक कार्यो की प्रगति नियमानुसार संतोषजनक रूप से समय पर होती रहे।

भवदीय,

ह०
(वेंकटेश शर्मा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(विकास)
राजस्थान,जयपुर

कमांक एफ.21(1) 2022–23/विकास/प्रमुवसं/ 888-948 दिनांक : 25.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,राजस्थान, जयपुर
2. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त उप वन संरक्षक ....
4. प्रभारी अंक मिलान (लेखाशाखा)/संकलन शाखा(सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर अनुभाग वेब साईट पर अपलोड हेतु/
5. सूचना सहायक, क0लेखाकार (विकास अनुभाग) कार्यालय हाजा/ गार्ड फाईल।

(अमर सिंह गोठवाल)
मुख्य वन संरक्षक(आयोजना)
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

बजट मद

परिशिष्ट –1

4406– वानिकी तथा वन्यजीव पर पूजीगत परिव्यय

01– वानिकी

800– अन्य व्यय

01– फार्म वन विघा (राज्य निधि)

63– वृक्षारोपण

(राशि रू. मे)

क्र. सं.	जिला	वन मण्डल	पौध तैयारी के लक्ष्य	पौध वितरण लक्ष्य		पौध तैयारी हेतु प्रावधान	अतिरिक्त प्रावधान *	योग
			(मय 10% अतिरिक्त)	परिवारों की संख्या	पौधों की संख्या (@8 पौधे प्रति परिवार)	(@रू 3.59 प्रति 4" x 6" थैली)		
1.	अजमेर	उप वन संरक्षक, अजमेर	2162886	245783	1966264	7764761	2357546	10122307
2.	अलवर	उप वन संरक्षक, अलवर	2801304	318330	2546640	10056682	3053422	13110104
3.	बांसवाड़ा	उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा	1613401	183341	1466728	5792110	1758608	7550718
4.	बारां	उप वन संरक्षक, बारां	1055494	119943	959544	3789224	1150489	4939713
5.	बाड़मेर	उप वन संरक्षक, बाड़मेर	1982746	225312	1802496	7118059	2161194	9279253
6.	भरतपुर	उप वन संरक्षक, भरतपुर	1868288	212306	1698448	6707154	2036434	8743588
7.	भीलवाड़ा	उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा	2181979	247952	1983616	7833305	2378358	10211663
8.	बीकानेर	उप वन संरक्षक, बीकानेर	686335	77993	623944	2463943	748106	3212049
		उप वन संरक्षक, छत्तरगढ़	500000	56818	454544	1795000	545000	2340000
		उप वन संरक्षक, इ गा न प II मण्डल, बीकानेर	500000	56818	454544	1795000	545000	2340000
9.	बून्दी	उप वन संरक्षक, बून्दी	965892	109761	878088	3467553	1052823	4520376
10.	चित्तौड़गढ़	उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़	1441009	163751	1310008	5173223	1570700	6743923
11.	चुरू	उप वन संरक्षक, चुरू	1530760	173950	1391600	5495429	1668529	7163958
12.	दौसा	उप वन संरक्षक, दौसा	1281284	145601	1164808	4599810	1396600	5996410
13.	धौलपुर	उप वन संरक्षक, धौलपुर	894876	101691	813528	3212605	975415	4188020
14.	डूंगरपुर	उप वन संरक्षक, डूंगरपुर	1234578	140293	1122344	4432136	1345691	5777827
15.	गंगानगर	उप वन संरक्षक, गंगानगर	1694986	192612	1540896	6085000	1847535	7932535
16.	हनुमानगढ़	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	1473683	167464	1339712	5290522	1606315	6896837
17.	जयपुर	उप वन संरक्षक, जयपुर	2573391	292431	2339448	9238474	2804997	12043471
		उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)	2573391	292431	2339448	9238474	2804997	12043471
18.	जैसलमेर	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	312736	35538	284304	1122723	340883	1463606
		उप वन संरक्षक, इ गा न प II मण्डल, जैसलमेर	200000	22728	181824	718000	218000	936000
19.	जालौर	उप वन संरक्षक, जालौर	1429947	162494	1299952	5133510	1558643	6692153
20.	झालावाड़	उप वन संरक्षक, झालावाड़	1242146	141153	1129224	4459305	1353940	5813245
21.	झूंझुंनू	उप वन संरक्षक, झूंझुंनू	1684126	191378	1531024	6046013	1835698	7881711
22.	जोधपुर	उप वन संरक्षक, जोधपुर	2832183	321839	2574712	10167537	3087080	13254617
23.	करौली	उप वन संरक्षक, करौली	1150266	130712	1045696	4129455	1253790	5383245

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

बजट मद

परिशिष्ट –1

4406– वानिकी तथा वन्यजीव पर पूजीगत परिव्यय

01– वानिकी

800– अन्य व्यय

01– फार्म वन विधा (राज्य निधि)

63– वृक्षारोपण

(राशि रू. मे)

क्र. सं.	जिला	वन मण्डल	पौध तैयारी के लक्ष्य	पौध वितरण लक्ष्य		पौध तैयारी हेतु प्रावधान	अतिरिक्त प्रावधान *	योग
			(मय 10% अतिरिक्त)	परिवारों की संख्या	पौधों की संख्या (@8 पौधे प्रति परिवार)	(@रू 3.59 प्रति 4" x 6" थैली)		
24.	कोटा	उप वन संरक्षक, कोटा	1730216	196616	1572928	6211476	1885936	8097412
25.	नागौर	उप वन संरक्षक, नागौर	2535584	288135	2305080	9102747	2763787	11866534
26.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27.	प्रतापगढ़	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	734230	89117	712936	2815386	854811	3670197
28.	[illegible]	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, राजसमन्द	1064813	121002	968016	3822679	1160647	4983326
29.	सवाईमाधोपुर	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर	1116311	126854	1014832	4007557	1216779	5224336
30.	सीकर	उप वन संरक्षक, सीकर	1949389	221522	1772176	6998307	2124835	9123142
31.	सिरोही	उप वन संरक्षक, सिरोही	883731	100424	803392	3172595	963267	4135862
32.	टोंक	उप वन संरक्षक, टोंक	1168416	132775	1062200	4194614	1273574	5468188
33.	उदयपुर	उप वन संरक्षक, उदयपुर	1408000	160000	1280000	5054720	1534720	6589440
		उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)	1325249	150597	1204776	4757644	1444522	6202166
		योग	**55666261**	**6325719**	**50605752**	**199841892**	**60676225**	**260518136**

*** नर्सरियों में बेड, मदर बेड व अन्य सुविधाओं (पानी, बिजली, सौर ऊर्जा, छाया की व्यवस्था आदि) का क्षमता संवर्धन, नर्सरी विकास, बेहतर थैलियों की व्यवस्था इत्यादि**

(वेंकटेश शर्मा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)
राजस्थान,जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट–2

बजट मद

4406– वानिकी तथा वन्यजीव पर पूजीगत परिव्यय

01– वानिकी

800– अन्य व्यय

01– फार्म वन विधा (राज्य निधि)

63– वृक्षारोपण

(राशि रू. मे)

क्र. सं.	जिला	वन मण्डल	कुल परिवार	पौध वितरण लक्ष्य		केन्द्रीकृत प्रचार प्रसार हेतु प्रावधान	प्रचार प्रसार एवं सामग्री मुद्रण (पोस्टर, पैम्फ्लेट, दो से तीन नुक्कड नाटक, पेंटिग एवं अन्य प्रतियोगिताये)	प्रचार प्रसार हेतु प्रावधान (कार्यशाला एवं लोकल अवेयरनेस)	योग
				परिवारों की संख्या	पौधों की संख्या (8 पौधे / परिवार)				
1		अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौधोगिकी, राजस्थान जयपुर				10000000	0		10000000
2	अजमेर	उप वन संरक्षक, अजमेर	491565	245783	1966264		515000	100000	615000
3	अलवर	उप वन संरक्षक, अलवर	636660	318330	2546640		660000	100000	760000
4	बांसवाड़ा	उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा	366682	183341	1466728		390000	100000	490000
5	बारां	उप वन संरक्षक, बारां	239885	119943	959544		265000	100000	365000
6	बाड़मेर	उप वन संरक्षक, बाड़मेर	450624	225312	1802496		475000	100000	575000
7	भरतपुर	उप वन संरक्षक, भरतपुर	424611	212306	1698448		450000	100000	550000
8	भीलवाड़ा	उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा	495904	247952	1983616		520000	100000	620000
9	बीकानेर	उप वन संरक्षक, बीकानेर	155985	77993	623944		180000	100000	280000
		उप वन संरक्षक, छत्तरगढ़	113636	56818	454544		138000	100000	238000
		उप वन संरक्षक, इ गा न प II मण्डल बीकानेर	113636	56818	454544		138000	100000	238000
10	बून्दी	उप वन संरक्षक, बून्दी	219521	109761	878088		244000	100000	344000
11	चित्तौड़गढ़	उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़	327502	163751	1310008		350000	100000	450000
12	चुरू	उप वन संरक्षक, चुरू	347900	173950	1391600		372000	100000	472000
13	दौसा	उप वन संरक्षक, दौसा	291201	145601	1164808		316000	100000	416000
14	धौलपुर	उप वन संरक्षक, धौलपुर	203381	101691	813528		228000	100000	328000
15	डूंगरपुर	उप वन संरक्षक, डूंगरपुर	280586	140293	1122344		305000	100000	405000
16	गंगानगर	उप वन संरक्षक, गंगानगर	385224	192612	1540896		385000	100000	485000
17	हनुमानगढ़	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	334928	167464	1339712		360000	100000	460000
18	जयपुर	उप वन संरक्षक, जयपुर	584862	292431	2339448		610000	100000	710000
		उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)	584862	292431	2339448		610000	100000	710000
19	जैसलमेर	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	71076	35538	284304		96000	100000	196000
		उप वन संरक्षक, इ गा न प II मण्डल, जैसलमेर	45455	22728	181824		70000	100000	170000

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट–2

बजट मद

4406– वानिकी तथा वन्यजीव पर पूजीगत परिव्यय

01– वानिकी

800– अन्य व्यय

01– फार्म वन विघा (राज्य निधि)

63– वृक्षारोपण

(राशि रू. मे)

क्र. सं.	जिला	वन मण्डल	कुल परिवार	पौध वितरण लक्ष्य		केन्द्रीक्रत प्रचार प्रसार हेतु प्रावधान	प्रचार प्रसार एवं सामग्री मुद्रण (पोस्टर, पैम्फलेट, दो से तीन नुक्कड नाटक, पेंटिग एवं अन्य प्रतियांगिताये)	प्रचार प्रसार हेतु प्रावधान (कार्यशाला एवं लोकल अवेयरनेस)	योग
				परिवारों की संख्या	पौधों की संख्या (@8 पौधे / परिवार)				
20	जालौर	उप वन संरक्षक, जालौर	324988	162494	1299952		350000	100000	450000
21	झालावाड़	उप वन संरक्षक, झालावाड़	282306	141153	1129224		307000	100000	407000
22	झूंझुंनू	उप वन संरक्षक, झूंझुंनू	382756	191378	1531024		407000	100000	507000
23	जोधपुर	उप वन संरक्षक, जोधपुर	643678	321839	2574712		668000	100000	768000
24	करौली	उप वन संरक्षक, करौली	261424	130712	1045696		286000	100000	386000
25	कोटा	उप वन संरक्षक, कोटा	393231	196616	1572928		418000	100000	518000
26	नागौर	उप वन संरक्षक, नागौर	576269	288135	2305080		601000	100000	701000
27	पाली	उप वन संरक्षक, पाली	416508	208254	1666032		441000	100000	541000
28	प्रतापगढ़	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	178234	89117	712936		203000	100000	303000
29	राजसमन्द	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, राजसमन्द	242003	121002	968016		267000	100000	367000
30	सवाईमाधोपुर	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर	253707	126854	1014832		278000	100000	378000
31	सीकर	उप वन संरक्षक, सीकर	443043	221522	1772176		468000	100000	568000
32	सिरोही	उप वन संरक्षक, सिरोही	200848	100424	803392		225000	100000	325000
33	टोंक	उप वन संरक्षक, टोंक	265549	132775	1062200		290000	100000	390000
34	उदयपुर	उप वन संरक्षक, उदयपुर	320000	160000	1280000		345000	100000	445000
		उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)	301193	150597	1204776		326000	100000	426000
	योग		12651423	6325719	50605752	10000000	13557000	3800000	27357000

(वेंकटेश शर्मा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)

राजस्थान,जयपुर